मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY:UDAIPUR

No. F./ AFFI/MLSU/2018/336 Dated: 19.09.2018

प्राचार्य
समस्त सम्बद्ध बी.एड./बीए–बीएड बीएससी–बीएड महाविद्यालय
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय
उदयपुर

विषय : सत्र 2018–19 की संबद्धता के संबंध में ।

महोदय,

प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के दस्तावेजो का NCTE/ राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय के नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा भौतिक सत्यापन कर सत्र 2018–19 हेतु संबद्धता जारी किया जाना प्रस्तावित है, जिसका कार्यक्रम अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है।

उक्त संबंध में समस्त बी.एड./बीए–बीएड बीएससी–बीएड महाविद्यालय के प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि वे अपने संस्थान द्वारा सत्र 2018–19 से संबंधित ऑनलाईन आवेदन की प्रति मय शुल्क की रसीद, भूमि भवन, संस्थान का पंजीयन, NCTE/ राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय समय पर संबद्धता आदेश/NOC की प्रति, संस्थान में कार्यरत फेकल्टी का NCTE द्वारा निर्धारित प्रारूप में मय फोटो एवं शैक्षणिक दस्तावेज, साथ ही संस्थान में बी.एड. के अतिरिक्त संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रम, संलग्न प्रारूप में नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पर शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज यदि विश्वविद्यालय में जमा नहीं कराये है तो 7 दिवस में जमा कराना सुनिश्चित करावें व निर्धारित तिथि को जमा कराये गये दस्तावेजो की मूल प्रति साथ लेकर उपस्थित होवें।

साथ ही समस्त महाविद्यालय अपने यहां कार्यरत फेकल्टी का पंजीयन विश्वविद्यालय के पॉर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कराया जाना सुनिश्चित करावें। नियमानुसार फेकल्टी का अनुमोदन नहीं होने पर विश्वविद्यालय के नियमानुसार पेनल्टी वसूल की जावेंगी।

निर्धारित तिथि की सूचना आपके कार्यालय की ई–मेल पर एक सप्ताह पूर्व प्रेषित कर दी जावेंगी। निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने वाले महाविद्यालय के दस्तावेज सत्यापन नहीं किया जाकर अर्थदण्ड स्वरूप 50,000/– वसूली किया जाकर उक्त सत्र हेतु संबद्धता जारी नहीं की जावेंगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय स्वयं की रहेगी।

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. संकायाध्यक्ष, शिक्षा, मोलासुवि, उदयपुर
2. प्रभारी, विश्वविद्यालय, अतिथि गृह, मोलासुवि, उदयपुर
3. निजी सचिव, कुलपति महोदय, मोलासुवि, उदयपुर
4. समन्वयक इंटरनेट सेन्टर,मोलासुवि को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया आदेश की प्रति को विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर प्रसारित करावें।
5. रक्षित पत्रावली

उप–कुलसचिव